भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4202

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तंबाकू और सिगरेट विनिर्माण के लिए लाइसेंस

4202. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तंबाकू और सिगरेट विनिर्माण इकाइयों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या प्रक्रिया और नियम निर्धारित हैं;

(ग) देश में अब तक इस क्षेत्र के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं और आशय पत्र जारी करने की प्रक्रिया और नियम क्या हैं;

(घ) मंत्रालय द्वारा पिछली बार कब औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था और वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं तथा ऐसे लंबित आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने की समय-सीमा और नियम क्या हैं; और

(च) क्या कोई आशय पत्र अभी तक औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित नहीं हुआ है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): औद्योगिक नीति संकल्प 1991 के बाद, और दिनांक 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या 477(अ) में किए गए विभिन्न संशोधनों पर विचार करते हुए, तंबाकू से बने सिगार और सिगरेट तथा तंबाकू के विनिर्मित विकल्प उत्पाद बनाने वाले उद्योग अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत आते हैं। कंपनियों को लाइसेंस उन वस्तुओं के विनिर्माण के लिए जारी किए जाते हैं जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 और धारा 11(क) के

तहत अनिवार्य रूप से लाइसेंस योग्य हैं और औद्योगिक उपक्रम पंजीकरण और लाइसेंसिंग नियम, 1952 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार हैं।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के अलावा अन्य क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को आईडीआर अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) प्रदान करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण है।

डीपीआईआईटी द्वारा विभिन्न हितधारकों के परामर्श से और डीपीआईआईटी के सचिव की अध्यक्षता में लाइसेंसिंग समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

वाणिज्य विभाग, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) में स्थापित इकाइयों को आईडीआर अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) जारी करने के लिए नामित लाइसेंसिंग प्राधिकरण है। वाणिज्य विभाग के अनुमोदन बोर्ड (बीओए) को, एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 9(2)(ङ) के अनुसार आईडीआर अधिनियम, 1951 के तहत एसईजेड में स्थापित तंबाकू और सिगरेट विनिर्माण इकाइयों को लाइसेंस देने का अधिकार है। निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए, आईएल की आवश्यकता वाले ईओयू स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना, प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2023 (समय-समय पर संशोधित) के साथ पठित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंतर्गत आता है। प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 6.01(घ) में प्रावधान किया गया है कि औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ईओयू की स्थापना के प्रस्ताव को विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन दिया जा सकता है, यदि पहले इस प्रस्ताव को पूर्वोक्त अनुमोदन बोर्ड और डीपीआईआईटी द्वारा मंजूर कर दिया जाए। प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 6.32(ख)(i) में प्रावधान किया गया है कि "औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाली विनिर्माण वस्तुओं पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।"

(ग) से (च): देश में वर्ष 1999 तक डीपीआईआईटी द्वारा इस क्षेत्र के लिए कुल 20 औद्योगिक लाइसेंस और 25 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं। तंबाकू और सिगरेट विनिर्माण इकाइयों के मामले में, ऐसे आवेदनों के लिए जिन्हें विदेशी सहयोग और पूंजीगत वस्तुओं के आयात जैसी अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिए गए थे। जिन मामलों में अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता थी, वहां आशय पत्र जारी किया गया था। आशय पत्र के लिए प्रारंभिक वैधता अवधि 12 माह थी। ऐसे मामलों में जहां

केवल एक अतिरिक्त मंजूरी अर्थात विदेशी सहयोग अथवा पूंजीगत वस्तुओं की मंजूरी आवश्यक पाई गई, प्रारंभिक वैधता में 6 माह के एक अतिरिक्त विस्तार पर विचार किया गया। ऐसे मामलों में जहां विदेशी सहयोग और पूंजीगत वस्तुओं की मंजूरी दोनों शामिल थीं, 12 माह की प्रारंभिक वैधता अवधि के अलावा 6 माह के दो विस्तार देने पर विचार किया जा सकता था। एक बार आशय पत्र में शामिल शर्तों को पूरा कर दिए जाने पर, यह औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

वर्ष 1999 से डीपीआईआईटी द्वारा स्वास्थ्य आधार पर तंबाकू से बने सिगार और सिगरेट तथा तंबाकू के विनिर्मित विकल्प उत्पादों के लिए कोई नया लाइसेंस/आशय पत्र जारी नहीं किया गया है।

रिकॉर्ड के अनुसार, 3 आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किए जा चुके हैं। शेष आशय पत्र, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस में परिवर्तित नहीं किया जा सका है, वे वर्तमान में वैध नहीं हैं। डीपीआईआईटी के पास ऐसा कोई आवेदन लंबित नहीं है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र में इस क्षेत्र के लिए इकाइयां स्थापित करने हेतु अब तक केवल दो औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। नियम और प्रक्रियाएं यथा संशोधित एसईजेड अधिनियम और नियमों द्वारा प्रशासित होती हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है पिछली बार औद्योगिक लाइसेंस मई, 2022 में वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किया गया था। अद्यतन स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग में ऐसा कोई आवेदन लंबित नहीं है।

****